



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

नैक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त/Accredited with 'A' Grade by NAAC

प्रो. कृष्ण कुमार सिंह
Prof. Krishna Kumar Singh
कार्यकारी कुलसचिव
Acting Registrar

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902
फैक्स/Fax : +91-7152-247602

पत्रांक : 062/2018-19/Acd-Aud/01/296
दिनांक : 30 नवंबर 2018

परिपत्र

सक्षम प्राधिकारी के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय के तीन अकादमिक सत्रों (2015-16, 2016-17 एवं 2017-18) का अकादमिक ऑडिट जनवरी 2019 में प्रस्तावित है। इसकी तैयारी हेतु कुलपति महोदय की अध्यक्षता में विभागाध्यक्षों/केंद्र निदेशकों की एक बैठक दिनांक 07 दिसंबर 2018 को अपरान्ह 03.00 बजे भाषा विद्यापीठ के सभागार में आयोजित की जा रही है।

अकादमिक ऑडिट हेतु आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (IQAC) की ओर से पूर्व में जो प्रारूप भेजा गया था, उस प्रारूप में जानकारी भरकर उसकी हार्ड एवं साफ्ट कॉपी बैठक में लानी है। विभागाध्यक्षों/केंद्र निदेशकों से अनुरोध है कि आवश्यक तैयारी के साथ वे या उनके प्रतिनिधि बैठक में यथासमय उपस्थित होने का कष्ट करें।


कुलसचिव 30/11/18

प्रति : समस्त विभागाध्यक्ष/केंद्र निदेशक/प्रभारी।

प्रतिलिपि :

1. कुलपति कार्यालय
2. कुलसचिव कार्यालय
3. कार्यालय प्रति